पत्र संख्या- आई0टी0-NICकम्प्यूटराइजेशन साफ्टवेयर/(2012-13)/ 297 / 1213029 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक ::जुलाई 03, 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

विषय:- डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में ।

डीम्ड कर निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2009-10 व आगे के वर्षों में कार्यवाही हेतु मुख्यालय से पूर्व में निम्न परिपत्र जारी हुए हैं -

(i) परिपत्र संख्या- 289/1212014 दिनांक 22-05-2012
(ii) परिपत्र संख्या- 233/1213020 दिनांक 07-06-2012
(iii) परिपत्र संख्या- 295/1213027 दिनांक 03-07-2012
(iv) परिपत्र संख्या- 296/1213028 दिनांक 03-07-2012

2- इन परिपत्रों में डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित एवं इस श्रेणी से बाहर किये गये वादों का विवरण विभिन्न रजिस्टरों में अंकित करने तथा इसकी प्रविष्टि Central VYAS साफ्टवेयर में करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी । साथ ही परिपत्र संख्या- 295/1213027 दिनांक 03-07-2012 द्वारा डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी से बाहर किये गये वादों का विवरण Central VYAS साफ्टवेयर में अंकित करने के लिए दिनांक 30-06-2012 की पूर्व निर्धारित तिथि को बढ़ाकर दिनांक 20-07-2012 कर दिया गया है ।

3- उक्त सन्दर्भ में दिनांक 30-06-2012 तक इस सम्बन्ध में किये गये कार्य की समीक्षा करने पर पाया गया कि इस तिथि तक केवल 24 जनपदों / सर्किलों में ही Central VYAS साफ्टवेयर पर चिन्हांकन का कार्य किया गया है यद्यपि चिन्हांकित मामलों की कुल संख्या को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि इन जनपदों / सर्किलों में भी समस्त अधिकारियों द्वारा चिन्हांकन का कार्य पूरा नहीं किया गया है । यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है तथा अधिकारियों की अकर्मण्यता के साथ-साथ उनकी सत्यनिष्ठा पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है । अत: ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ।

4- इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित किये गये वादों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कार्य अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । अत: उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एतद्द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिश्नर व प्रत्येक ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) एक सप्ताह के अन्दर अपने जोन / सम्भाग के समस्त कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा इस दिशा में किये गये कार्य की समीक्षा करेंगें एवं यदि पाया जाता है कि पत्रावलियों पर कार्यवाही पूरी न होने के कारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा डीम्ड कर निर्धारण की श्रेणी में निस्तारित एवं इस श्रेणी से बाहर किये गये वादों का चिन्हांकन Central VYAS साफ्टवेयर पर नहीं किया गया है तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सम्यक कार्यवाही की संस्तुति जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा दिनांक 15-07-2012 तक मुख्यालय प्रेषित की जायेगी । उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा समस्त

कर निर्धारण अधिकारियों से Central VYAS साफ्टवेयर पर चिन्हांकन की कार्यवाही पूरी कर लिए जाने का प्रमाण पत्र भी दिनांक 21-07-2012 तक प्राप्त करके इसकी सूचना ई-मेल / फैक्स से दिनांक 22-07-2012 को मुख्यालय उपलब्ध करायी जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(हिमाँशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजर कर, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3- एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।

(एम0 के0 सिंह)
एडीशनल कमिश्नरग्रेड-2(आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।